न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/142/2023

उनवान

1. नन्दू पत्नी ज्वारा गुर्जर, निवासी–रघुनाथपुरा तहसील बदनोर, जिला भीलवाडा राजस्थान
2. माधु पुत्र ज्वारा गुर्जर, निवासी–रघुनाथपुरा तहसील बदनोर, जिला भीलवाडा राजस्थान
3. श्रवणी देवी पत्नी प्रभू लाल गुर्जर, निवासी–रघुनाथपुरा तहसील बदनोर, जिला भीलवाडा राजस्थान

अपीलार्थीगण

बनाम

1. धर्मीचन्द पिता श्रीराम गुर्जर, निवासी–रघुनाथपुरा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
2. सुरेश पिता हिन्दु गुर्जर, निवासी–रघुनाथपुरा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 59/2020 निर्णय दिनांक 16.06.2023

अभिभाषक : **1. श्री अम्बा लाल कुमावत , अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. श्री भोपाल लाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 3.2.2026

1. **अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा, पटवार हल्का जगपुरा, तहसील बदनोर, जिला–भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2074 के**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

खाता संख्या 529 की आराजी नम्बर 141 रकबा 0.35 हैक्टेयर आराजी नम्बर 142 रकबा 0.37 हैक्टेयर आराजी नम्बर 143 रकबा 0.30 हैक्टेयर आराजी नम्बर 205 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौखिक बटवारे के अनुसार उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

2. नजरी नक्शे अनुसार जो लाल रंग से दर्शाया गया है। नक्शे अनुसार उक्त आम दस्ता दर्ज है। उक्त आम रास्ते के निकट प्रार्थीगण व विपक्षीगण के सामलाती कुंआ भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । जिस के खाता संख्या 340 आराजी नम्बर 224 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आता चाह दर्ज है। उक्त कुंऐ के सहारे आराजी संख्या 206 विपक्षीगण की भूमि स्थित होकर उक्त भूमि में से प्रार्थीगण वर्तमान में रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

3. विवादित आराजी विपक्षीगण की खातेदारी आराजी है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजी में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 206 का उपयोग व उपभोग वर्तमान समय में अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन रास्ते को बन्द करने की धमकियां देते है। इस कारण रास्तें को दर्ज कराया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते के उपयोग में ली गई भूमि के बदले विपक्षींगण को उतनी भूमि प्रार्थीगण देने को भी सहमत है।

4. प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शे में दर्शाये गये रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेतों में अपने पूर्वजों के समय से आ जा रहे है। जिस नजरी नक्शे को लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ते को नक्शे व राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

5. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु इसी रास्ते के अलावा और कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता और प्रार्थीगण अपने आराजीयात में आने जाने हेतु विपक्षीगण जो इस भूमि को धारित करते है। प्रार्थीगण अपने खेतों में आने–जाने के लिए मार्ग (रास्ता) को राजस्व रेकार्ड में दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

करवाना चाहते है। इस रास्तें का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण अपने पुर्वजों के समय से करते आ रहे है। और न्यायालय श्रीमान इस रास्ते हेतु प्रतिकर के संदाय हेतु आदेश प्रदान करेंगे प्राथीगण नियमानुसार जमा कराने को तैयार है।

6. प्रार्थीगण जो कि एक अभिधारी के रूप में अपने जोतों तक पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी में से होकर विद्यमान रास्ते को 10 फिट चौडे रास्ते के रूप में दर्ज करने का अधिकारी है।

7. अतः निवेदन कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की मौजा ग्राम–जगपुरा हल्का–जगपुरा सम्वत 2074 से 2074 के खाता संख्या 529 की आराजी नम्बर 141 रकबा 0.35 र आराजी नम्बर 142 रकबा 0.37 हैक्टेयर आराजी नम्बर 143 रकबा 0.30 हैक्टेयर आराजी नम्बर 205 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर में आने जाने व बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने–ले जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा ग्राम जगपुरा, पटवार हल्का जगपुरा की खातेदारी आराजी नम्बर 206 के सहारे सहारे प्रार्थीगण को अपने खेतों में आने–जाने के लिए नियमानुसार प्रतिकर लिया जाकर राजस्व रेकार्ड में 10 फिट चौड़ा रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है को बिलानाम सरकार में रास्ता दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के लिए उपयोग में ली गई भूमि के ऐवज में उतनी भूमि भी देने के लिए सहमत है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.6.2023 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

9. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एव उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो ठोस तथ्य एवं मजबूत आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही अपीलाण्ट प्रार्थी को सफलता मिलेगी।

11. धारा 251 ए रास्तो के अधिकार एवं प्रक्रिया संबंधि अधिनियम संख्या (1 ऑफ 2012) द्वारा संशोधित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में काश्तकारो की आराजी में जाने आने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के लिए वैकंल्पिक रास्ता उपलब्ध न होने की सुरत में नया रास्ता कायम किये जाने का प्रावधान डी.एल.सी. दर पर किये जाने का प्रावधान बनाया गया है। उक्त प्रावधान का दुरूपयोग किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 251 अ का खुलमखुला उल्लघंन किया गया है। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के स्वयं के खाते की आराजी संख्या 141,142,143,205 किता 4 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौके पर कायम हो रखा है जिसका उपयोग उपभोग लगातार कई वर्षो से लगातार कर रहे है। इस कारण नया रास्ता कायम कराने का अधिकार नही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 अ कि मंशा का ध्यान पूर्वक अवलोकन नही किया गया है और नही अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस भी मंगवाकर अवलोकन नहीं किया एवं जो निर्णय अपीलार्थी कि अनुपस्थिति व मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बनाया गया जिस पर भी अपिलार्थी के हस्ताक्षर नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 अ कि मंशा का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया गया है और नही अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस भी मंगवाकर अवलोकन नहीं किया एवं जो निर्णय अपीलार्थी कि अनुपस्थिति में पारित किया है वह भी विधि सम्वत नही है एवं मनमकसुद तरिके से अपीलार्थी कि आराजी के पूर्वी मेड़ पर 20 फिट चौड़ा रास्ता रिकार्ड पर कायम करने का आदेश गलत पारित किया है जब मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध है ही नही तो नये सिरे से रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नही है ऐसी सुरत में पारित किया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

12. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2023 की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी मौके पर पटवारी रास्ता नापने 16.06.2023 को हो गया एवं उसकी पालना कराने आये है तब उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई है फिर नकल आवेदन दिनांक 07.08.2023 को किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति दिनांक 10.08.2023 को किया इसके बाद यह अपील बिना किसी देरी से प्रस्तुत कि गई है। अपीलार्थीगण ने अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है। वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रास्तों के अधिकार एवं प्रकिया संबंधी अधिनियम संख्या (1 ऑफ 2012) द्वारा संशोधित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 69 की पालना नहीं की गई है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई है जो अपीलार्थी की मौजूदगी मे तैयार नही कि गई एवं पटवारी हल्का द्वारा मौत बीर गाव के लोगो कि उपस्थिति में तैयार नही की उक्त मौका रिपोर्ट सदिग्ध एवं विश्वसनीय नही है ओर किसी भी पक्ष के द्वारा उक्त प्रकरण में बतौर साक्ष्य दस्तावेजो को प्रदर्शित नही करवाया है एवं न ही कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत हुयी है। केवल मात्र बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राजस्व अभियान में दोनो पक्षो कि सहमती के बिना लोक अदालत कि भावना से नही किया गया ऐसी सुरत में अधिनस्थ न्यायालय को अपास्त किये जाने योग्य है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल रूप से विचारणीय बिन्दु यह था कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की आराजी संख्या 141,142,143,205 किता 4 में आने जाने के लिए सुगम एवं वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजुद था, लेकिन केवल मात्र रंजिशवश अपीलार्थीगण की आराजी में से ही रास्ता कायम कराने की जिद्द पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अडिंग होकर अपने उच्चे रसुकात एवं प्रभाव का दुरूपयोग कर अपीलार्थीगण के स्वयं की निजी आराजी में से 10 फिट का रास्ता कायम कराने का निर्णय एवं विधिसम्मत नहीं होकर काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 602 में रेस्पोडेट सख्या 01 व 02 का कभी रास्ते के रूप में काम नहीं लिया गया है बल्कि अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकार की होकर अपीलार्थीगण निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं रेस्पोडेट संख्या 01 व 02 के पास पहले

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

से ही वैकल्पिक रास्ता मौजद है तथा इस कारण से नया रास्ता कायम कराने का अधिकार धारा 251 अ के तहत रेस्पाडेट संख्या 01 व 02 प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

17. अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.06.2023 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

18. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया। उनका यह भी निवेदन है कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह समुचित नहीं है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थीगण ने जो अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण अंकित किया है वह उचित नहीं होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण अगस्त 2020 में पेश हुआ व निस्तारण 2023 में हुआ । जवाब का पर्याप्त अवसर दिया गया । जवाब पेश नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार परीक्षण कर अरास्ता दिया गया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

20. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो ठोस तथ्य एवं मजबूत आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही अपीलाण्ट प्रार्थी को सफलता मिलेगी।

21. धारा 251 ए रास्तो के अधिकार एवं प्रक्रिया संबंधि अधिनियम संख्या (1 ऑफ 2012) द्वारा संशोधित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में काश्तकारो की आराजी में जाने आने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न होने की सुरत में नया रास्ता कायम किये जाने का प्रावधान डी.एल.सी. दर पर किये जाने का प्रावधान बनाया गया है। उक्त प्रावधान का दुरूपयोग किया जाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा.

किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 251 अ का खुलमखुला उल्लघंन किया गया है। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के स्वयं के खाते की आराजी संख्या 141,142,143,205 किता 4 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौके पर कायम हो रखा है जिसका उपयोग उपभोग लगातार कई वर्षों से लगातार कर रहे है। इस कारण नया रास्ता कायम कराने का अधिकार नही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 अ कि मंशा का ध्यान पूर्वक अवलोकन नही किया गया है और नही अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस भी मंगवाकर अवलोकन नहीं किया एवं जो निर्णय अपीलार्थी कि अनुपस्थिति व मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बनाया गया जिस पर भी अपिलार्थी के हस्ताक्षर नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 अ कि मंशा का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया गया है और नही अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस भी मंगवाकर अवलोकन नहीं किया एवं जो निर्णय अपीलार्थी कि अनुपस्थिति में पारित किया है वह भी विधि सम्वत नही है एवं मनमकसुद तरिके से अपीलार्थी कि आराजी के पूर्वी मेड़ पर 20 फिट चौड़ा रास्ता रिकार्ड पर कायम करने का आदेश गलत पारित किया है जब मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध है ही नही तो नये सिरे से रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नही है ऐसी सुरत में पारित किया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

22. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2023 की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी मौके पर पटवारी रास्ता नापने 16.06.2023 को हो गया एवं उसकी पालना कराने आये है तब उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई है फिर नकल आवेदन दिनांक 07.08.2023 को किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति दिनांक 10.08.2023 को किया इसके बाद यह अपील बिना किसी देरी से प्रस्तुत कि गई है। अपीलार्थीगण ने अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है। वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

23. प्रत्यर्थीगण की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

करने का जो कारण अंकित किया गया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

24. पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया । राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 208 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उससे लगती हुई भूमि जो आराजी नम्बर 206 से दिया जा सकता है। इस प्रकार की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गई है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के मूल उद्धेश्य अनुरूप अतिआवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता नहीं होने व लघुत्तम के बिन्दु का गुणावगुण पर विस्तृत विश्लेषण के साथ निर्णय पारित किया गया है। जो उचित है।

आदेश

25. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.6.2023 को यथावत रखा जाता है। ।

26. निर्णय आज दिनांक 3.2.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा